संख्याः 2678 /XII(1) /16-82(08)/2016

प्रेषक,

दमयंती दोहरे,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 26 अगस्त, 2016

विषयः–वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक की आयोजनागत पक्ष की मदों में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः 847/XXVII(1)/2016, दिनॉक 26 जुलाई, 2016 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्याः 19, 30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्न सूची में अंकित विवरण एवं संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार आयोजनागत पक्ष में रू0 51334 हजार (रू0 पांच करोड़ तैरह लाख चौंतिस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

9. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31.03.2016, 04.04.2016 एवं दिनांक 26.07.2016 में वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

संयुक्त निदेशक
निदेशालय पंचायतीराज
उत्तराखण्ड, देहरा
27/8/16

11. उक्त धनराशि इस प्रतिबंध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त–पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

निदेशक
पंचायती राज
उत्तराखण्ड, देहरादून
26/8/2016

12. वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

1550
29/8/16

29/8/16

13. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्याः 19, 30 एवं 31 के मुख्य लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आवंटन निदेशक, पंचायतीराज एवं उसके अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है।

14. यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय–व्ययक 2016–17 में बजट प्रावधान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्ययक प्रावधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।

15. प्रायः यह देखा गया है कि धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखने के उपरांत भी विभागाध्यक्ष द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरण–वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। धनराशि का उपयोग करते हुए प्रत्येक माह का बी॰एम॰–8 शासन में उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक :– सूची/अलोटमेंट आईडी।

भवदीय,

(दमयंती दोहरे)
सचिव।

संख्याः — (1)/ XII(1) /16-82(08)/2016, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3– वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5– बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)
उप सचिव।

07–विकासखण्डों में विकास कार्यों हेतु क्षेत्र निधि–

मानक मद	आयोजनागत
42–अन्य व्यय	30000

09–निर्वाचित प्रतिनिधियों व कर्मचारियों का प्रशिक्षण–

मानक मद	आयोजनागत
42–अन्य व्यय	1667

13–त्रिस्तरीय पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण–

मानक मद	आयोजनागत
42–अन्य व्यय	1667

अनुदान संख्या–30
लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज
02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–
0201–विकास खण्डों में विकास कार्यों हेतु क्षेत्र निधि की स्थापना–

मानक मद	आयोजनागत
42–अन्य व्यय	13333

अनुदान संख्या–31
लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–
796–जनजाति क्षेत्र उप योजना–
03–विकास खण्डों में विकास कार्यों हेतु क्षेत्र निधि–

मानक मद	आयोजनागत
42–अन्य व्यय	4667
कुल योगः–	51334

(दमयंती दोहरे)
सचिव।